

भा०क००३०५०-उत्तरी शीताष्ण क्षेत्रीय केन्द्र
 (कन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान)
 गाडसा (कुल्लू) हिमाचल प्रदेश १७५१४१ दुर्माप्ल ०१९०२-२७२२३१

क्रमांक: ७(४७)एम/२००९/


दिनांक: ०७.०१.२०१६

कुटेशन सूचना

इस केन्द्र के बाह्य अनुभाग में वाहन चलाने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध के आधार पर करवाने के लिए सेवानिवृत्ति सेनिकों/प्राइवेट पार्टी से अपनी उचित व न्यूनतम दर मासिक अधार पर प्रस्तुत करने के लिए कुटेशन आमंत्रित किया जाता है । साथ ही ठेकेदार के पास पैन न० होना आवश्यक है । ठेकेदार की आयु ६० वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा सेवानिवृत्ति सेनिकों को वरिष्ठता दी जायेगी । संरकारी एवं लोक सेवाओं से सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को आयु सीमा में ५ वर्ष की छूट दी जायेगी ।

नियम व शर्तेः

१. कुटेशन सादा कागज पर इस केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के नाम बन्द लिखाके में रखीकार किये जायेंगे, कुटेशन केन्द्र में दिनांक २३.०१.२०१६ दापहर बाद २.०० बजे तक प्रस्तुत करना है । सशर्त / तार व डाक द्वारा भेजी गई तथा देवर से प्राप्त कुटेशनों पर कोई पिचार नहीं किया जायेगा । कुटेशन उसी दिन दोपहर बाद २-३० बजे कुटेशनदाता के समक्ष खोले जायेंगे । कुटेशन दाता के पास पैन न०- अनिवार्य होना चाहिये जिस की छाया प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होनी ।
२. ठेकेदार को कुटेशन के साथ १०००-०० रुपये मात्र साई राशि जो कि बैंक ड्रापट द्वारा CSWRI Unit NTRS Garsa के नाम देय हो के रूप में जमा करना पड़ेगा । विना धरोहर राशि के कोई कुटेशन खीकार नहीं किया जायेगा ।
३. अनुबन्ध की उचित व न्यूनतम दर ही खीकार की जायेगी तथापि सरकार द्वारा निर्धारित श्रमिक दर को यदि अनुबन्ध पूर्ण नहीं करेगा उसे निरस्त किया जा सकता है ।
४. दर प्रति माह के हिसाब से प्रस्तुत करना है । अनुबन्ध की अवधि १२ माह तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है । यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय सकती है । अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है । जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी रख्य ठेकेदार की होगी । इस दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
५. सफल दरकारी को कुल ठेका राशि का १० प्रतिशत वर्तीर धरोहर राशि जमा करवानी होगी जिसमें साई राशि भी समावेशित की जा सकती है । धरोहर बैंक ड्रापट जो री. एस. डब्ल्यू. आर.आई. यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय रेट शाखा बैंक भूत्तर पर होगा अथवा एफ.डी.आर. जौ अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवी रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं । यह राशि ठेकेदार की लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी ।
६. ठेकेदार/प्रतिनिधि से संलग्न का कोई भी वाहन (जीप/ट्रेक्टर/अन्य) चलाया जा सकता है ।
७. ठेकेदार/प्रतिनिधि के बाहर जाने की शर्ति में समय सीमा नहीं है ।
८. ठेकेदार/प्रतिनिधि से सेटर ड्यूटी, टीओटी एरिया, भुत्तर-कुल्लू के लोकल इन्डेंट भी पूरे करने होंगे एवं जयपुर, दिल्ली, व अन्य लम्ही दूरी के लिये भी भिजवाया जा सकता है ।
९. ठेकेदार/प्रतिनिधि को वाहन चलाने के साथ गाड़ी का रख-रखाव का भी वायान रखना होगा एवं गाड़ी की लोगबुक समय अनुसार पूरी करनी होगी । वाहन अनुभाग का कार्य न होने पर कार्यालय सम्बन्धी अन्य कार्य करना होगा ।
१०. ठेकेदार/प्रतिनिधि को गाड़ी का अनुभव होना चाहिये । यदि आवश्यकता महसूस की गई तो गाड़ी भी चलवाई जा सकती है ।
११. ठेकेदार/प्रतिनिधि को मास मोटर व्हीकल लाइसेंस होना अनिवार्य है और ठेकेदार/प्रतिनिधि को कम से कम दसवीं पास होना आवश्यक है ।
१२. ठेकेदार/प्रतिनिधि को पास मोटर व्हीकल लाइसेंस होना अनिवार्य है और ठेकेदार/प्रतिनिधि को कम से कम दसवीं पास होना आवश्यक है । इस के लिये दोनों दस्तावेज की प्रतिलिपि कुटेशनों के साथ संलग्न करना होगा । सेवानिवृत्ति के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न करना होगा ।
१३. ठेकेदार/प्रतिनिधि पूर्ण रूप से सख्त होना चाहिये तथा गाड़ी, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिये । एसी दशा में धरोहर राशि कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदार / अवज्ञा की गई तो ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
१४. अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को केन्द्र की सम्पति को बचाना होगा । यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिरूपीकरण का भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा । अन्यथा उनके देव विल में से काट लिया जायेगा ।
१५. ठेकेदार/प्रतिनिधि को किसी असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ संहार्दीपूर्ण व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा । एसी दशा में धरोहर राशि जब्त करने पर निश्चित समय अवधि ।
१६. कार्य के विल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा विल तीन प्रतियों में पूर्ण प्राप्ति रखीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि ३०-४५ दिनों में वित्त एवं लेखांकिकी महोदय, कन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर सुरक्षित है ।
१७. प्रभारी वाहन अनुभाग / अध्यक्ष महोदय के दिवान -निदेशों के अनुसार कार्य करना होगा ।
१८. केन्द्र के सभी अधिकारी के बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/ सभी कुटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है कि संलग्न निविदा सूचना को संस्थान की वैव साइट में वृहत प्रचार हेतु अपलोड करने की कृपा करें ।
१९. यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी ।


 कार्यकारी अध्यक्ष

वितरणः

१. सूचना पट्ट, एन.टी.आर. एस. गडसा
२. श्रीमान निदेशक महोदय, कन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (वाया जयपुर) को सूचनार्थ प्रेषित है ।
३. प्रभारी एसी सैल, कन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि संलग्न निविदा सूचना को संस्थान की वैव साइट में वृहत प्रचार हेतु अपलोड करने की कृपा करें ।
४. प्रधान ग्राम पंचायत दियार, गडसा, शियाह, हुरला, थरास, भलाण-१, नरेश, डेला, नगर पंचायत भुत्तर ।
५. प्रभारी वाहन एवं कार्यशाला अनुभाग को वृहत प्रचार हेतु प्रेषित है ।